



CCL

Fuelling Sustainable Growth
CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुसूची कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/ई. एंड एम./ई7-ई8/24/-7583

दिनांक: 30/08/2024

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(V)/DPC/E7-E8_E&M/B-687 dated:- 28/08/2024 के आलोक में निम्नलिखित **मुख्यप्रबंधक (ई. एंड एम.)/ ई7 ग्रेड** की प्रोन्नति **महाप्रबंधक (ई. एंड एम.)/ई8 ग्रेड** (वेतनमान रु. 1,20,000-2,80,000) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सामने दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Sl. No	EIS No	Name(Sri)	Place of posting
1.	90075094	Sri Ujjwal Kumar Sinha	Hazaribagh Area
2.	90075979	Sri Bipin Kumar	Kathara Area
3.	90169905	Sri Arun Kumar Panjiar	E&M Deptt., CCL HQ
4.	90084286	Sri Nalin Chand	Magadh- Sanghmitra Area
5.	90192923	Sri Dhananjay Kumar	Piparwar Area

संबन्धित अधिकारियों की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे उच्च पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र/मुख्यालय के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से **तीस(30) दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

The order shall abide by the ultimate adjudication in the Writ Petition nos. 19607 (W) of 2017 with no. 9754 (W) of 2017 (Bani Singh Rana & Ors. With Pijush Kumar Singha & Ors. Vs CIL & Ors.) before the Hon'ble High Court of Calcutta.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात उपरांत किया जाता है।

(Handwritten Signature)
30.8.24

प्रबन्धक (का-अधि-स्था°)

वितरण:-

- निदेशक (वित्त)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, रांची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
- निदेशक (परियोजना एवं योजना) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
- निदेशक (तकनीकी एवं संचालन) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
- महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक, हजारीबाग/कथारा/मगध-संघमित्रा/पिपरवार क्षेत्र।
- महाप्रबंधक, ई.एंड एम./प्रशासन/सतर्कता/मानव संसाधन/सिस्टम / अधि-स्था., सीसीएल।
- क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक/स्टाफ अधिकारी (का/प्र), हजारीबाग/कथारा/मगध-संघमित्रा/पिपरवार क्षेत्र।
- मुख्य प्रबंधक/ उप. प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, रांची।
- उप-प्रबन्धक/प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)/, सीसीएल, रांची - **आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।**
- उप- प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
- सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - **कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।**
- संबन्धित अधिकारी।
- व्यक्तिगत फ़ाइल।